

किन कृत्य को रैगिंग माना जाता है : –

1. किसी छात्र अथवा छात्रों द्वारा नए आनेवाले छात्र का मौखिक शब्दों अथवा लिखित वाणी द्वारा उत्पीड़न अथवा दुर्व्यवहार करना।
2. छात्र अथवा छात्रों द्वारा उत्पात करना अथवा अनुशासनहीनता का वातावरण बनाना जिससे नए छात्रको कष्ट, आक्रोश, कठिनाई, शारीरिक अथवा मानसिक पीड़ा हो।
3. किसी छात्र से ऐसे कार्य को करने के लिए कहना जो वह सामान्य स्थिति में न करे तथा जिससे नए छात्र में लज्जा, पीड़ा, अथवा भय की भावना उत्पन्न हो।
4. वरिष्ठ छात्र द्वारा किया गया कोई ऐसा कार्य जो किसी अन्य अथवा नए छात्र के चलते हुए शैक्षणिक कार्य में बाधा पहुँचाए।
5. नए अथवा किसी अन्य छात्र का दूसरों को दिए गए शैक्षणिक कार्य को करने हेतु बाध्य कर शोषण करना।
6. नए छात्र का किसी भी प्रकार से आर्थिक शोषण करना।
7. शारीरिक शोषण का कोई भी कार्य/किसी भी प्रकार का यौन शोषण, समलैंगिक प्रहार, नंगा करना, अश्लील तथा काम संबंधी कार्य हेतु विवश करना, अंग चालन द्वारा बुरे भावों की अभिव्यक्ति करना, किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट जिससे किसी व्यक्ति अथवा उसके स्वास्थ्य को हानि पहुँचे।
8. मौखिक शब्दों द्वारा किसी को गाली देना, ई-मेल, डाक, पब्लिकली किसी को अपमानित करना, किसी को कुमार्ग पर ले जाना, स्थानापन्न अथवा कष्ट देना या सनसनी पैदा करना जिससे नए छात्र को घबराहट हो।
9. कोई कार्य जिससे नए छात्र के मन मस्तिष्क अथवा आत्मविश्वास पर दुष्प्रभाव पड़े। नए अथवा किसी छात्र को कुमार्ग पर ले जाना तथा उस पर किसी प्रकार की प्रभुता दिखाना।

रैगिंग विरोधी समिति रैगिंग विरोधी दल द्वारा निर्धारित किए गए अपराध के स्वरूप और गम्भीरता को देखते हुए निम्नलिखित में को कोई एक अथवा अनेक दण्ड दे सकती है

1. कक्षा में उपस्थित होने तथा शैक्षिक अधिकारियों से निलम्बन।
2. छात्रवृत्ति/छात्र अध्येतावृत्ति तथा अन्य लाभों को रोकना/वंचित करना।
3. किसी टैस्ट/परीक्षा अथवा अन्य मूल्यांकन प्रक्रिया में उपस्थित होने से वंचित करना।
4. परीक्षाफल रोकना।
5. किसी प्रादेशिक, राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मीट, खेल, युवा महोत्सव आदि में संस्था का प्रतिनिधित्व करने से वंचित करना।
6. छात्रावास से निष्कासित करना।
7. प्रवेश रद्द करना।
8. संस्था से 04 सत्रों तक के लिए, निष्कासन करना।
9. संस्था से निष्कासित करना। जब रैगिंग करने अथवा रैगिंग करने के लिए भड़काने वाले व्यक्तियों की पहचान न हो सके संस्था सामूहिक दण्ड का आश्रय ले।

रैगिंग विरोधी समिति द्वारा दिए गए दण्ड के विरुद्ध अपील (प्रार्थना) निम्नलिखित से की जाएगी।

1. किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्था होने पर कुलपति से।
2. विश्वविद्यालय का आदेश होने पर कुलाधिपति से।
3. संसद के अधिनियम के अनुसार निर्मित राष्ट्रीय महत्व की संस्था होने पर उसके चेयरमैन अथवा चांसलर अथवा स्थिति के अनुसार।

रैगिंग संबंधी किसी भी प्रकार शिकायत हेतु निम्न फोन न0 पर सूचित करें

माननीय कुलपति महोदय फोन न0 0755–2742001

माननीय कुलसचिव महोदय फोन न0 0755–2678899, 2734913

फैक्स न0 0755–2742006 E-mail : [registrar@rgtu.net](mailto:registrar@rgtu.net)

अधिष्ठाता छात्र कल्याण फोन न0 0755–2678870

E-mail [dsw@rgtu.net](mailto:dsw@rgtu.net)